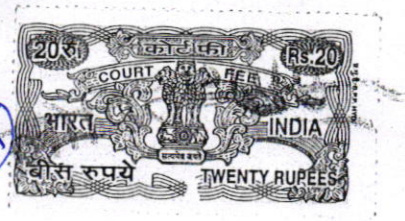

164

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर महोदय

III/निगरानी/रीवा/भू.रा/2018/1893

(1) जाहिद अली तनय सफी बक्स
(2) वारिस अली तनय सफी बक्स
(3) वाहिद अली तनय सफीबक्स
(4) हबीव बक्स तनय रफी बक्स
(5) सरीफ बक्स तनय रफी बक्स

सभी जाति मुसलमान निवासी सा0 दादर पूर्वी
थाना व तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.)

—— निगरानीकर्ता

बनाम

(1) मकसूद आलम तनय अजीज बक्स
जाति मुसलमान, निवासी सा0 दादर पूर्वी
थाना व तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.)

(2) शासन मध्यप्रदेश

—— गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तह0 हनुमना राजस्व निरीक्षक हनुमना के सीमांकन प्रकरण क्र. 18–ए–17–017–18 आदेश दिनांक 05.01.2018 अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता सन् 1959 ई.

महोदय,

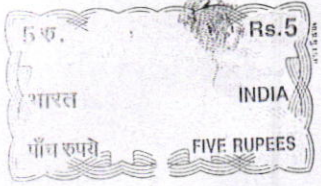

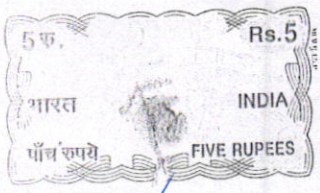

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

1) यह कि, मौजा लोढ़ी पटवारी हल्का लोढ़ी रा. नि. मण्डल हनुमना तहसील हनुमना, जिला रीवा अन्तर्गत स्थित भूमि खसरा नं. 534/19/ख रकवा 0.202 है0 के वर्तमान भूमि स्वामी गैर निगरानीकर्ता है, गैर निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ तहसीलदार तह0 हनुमना के समक्ष उक्त भूमि के सीमांकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें रा. नि. हनुमना द्वारा विधि के विपरीत संहिता की धारा 129 के तहत बने नियमों के विपरीत समस्त सीमावर्ती कृषकों को सूचना दिए बिा ही मनमानी तरीके से चोरी छिपे तौर से

क्रमशः.....2

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/रीवा/भू.रा/2018/01893

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/रीवा/भू.रा/2018/01893

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
27 –3 –18	आवेदक के अधिवक्ता श्री व्ही0 के0 शुक्ला उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 18/अ–17/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 05.01.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का सारंश इस प्रकार है कि मौजा लोढ़ी पटवारी हल्का लोढ़ी राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमना स्थित भूमि खसरा कमांक 534/19/ख रकवा 0.202 है0 के वर्तमान भूमि स्वामी अनावेदक हैं । अनावेदक द्वारा तहसीलदार हनुमना के समक्ष भूमि के सीमांकन का आवेदन प्रस्तुत किया। सरहद्दी कास्तकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने से तहसीलदार हनुमना जिला रीवा के आदेश दिनांक 5.1.18 से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 5.1.18 को सूचना पत्र जारी किया गया उसमें सरहददी कास्तकारों के नाम ही नहीं है इसी प्रकार स्थल पंचनामा पर भी सरहददी कास्तकारों के हस्ताक्षर नहीं है इसलिये दिनांक 5.1.18 को किया गया सीमांकन त्रुटिपूर्ण है। सीमांकन की कार्यवाही धारा 129 के	

प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई है। ''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1995 (2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159 (उच्चतम न्यायालय) अवलंबित।''

इसी प्रकार 1998 आर एन 106 (उच्च न्याया0) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – ''सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।''

स्पष्ट है कि सीमांकित भूमि का सरहदी कृषक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होता है। इसके अतिरिक्त 2006 आर एन 218 गजराज सिंह विरूद्ध रामसिंह (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं – ''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – सीमांकन– विवादित सर्वेक्षण संख्यांक की पूर्णतया माप नहीं की गई–– निकट के सर्वेक्षण संख्यांक की माप नहीं की गई––कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया गया––एक–भी साक्षी नामित नहीं––पटवारी द्वारा भूलें की गई और स्वीकार की गई––ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें दूसरा पक्ष सूचित भी नहीं किया गया हो।''

1988 आर एन 105 में इस न्यायालय द्वारा भी यही अभिमत व्यक्त किया गया है कि सीमांकन लगी हुई भूमि के भूमिस्वामी को सूचना किए बिना नहीं किया जा सकता।

माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित

उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह निर्विवादित है कि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन पर निम्नानुसार प्रकिया अपनाई जाना न्यायसंगत होगा–

1. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकार की भूमि का नक्शा प्राप्त करना,

2. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों/हितबद्ध पक्षकार को विधिवत व्यक्तिशः सीमांकन की पूर्व विहित की गई प्रकिया के अनुसार सूचना दी जानी चाहिए। सूचना पत्र के निर्वहन के लिए अनुसूची –1 केनियम 11 से 14 में विहित प्रकिया के अनुसार सूचना देना,

यहां यह भी प्रासांगिक है कि हितबद्ध पक्षकार से आशय ऐसे व्यक्ति से होगा, जैसा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2016 आर एन 185 बाबा ज्ञानदास विरूद्ध तहसीलदार श्योपुर तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

'' भू– राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129– उपबंध के अधीन कार्यवाही – से अभिप्रेत – भूमिस्वामी या कोई व्यक्ति जो भूमि में विधिक अधिकार रखता है – हितबद्ध व्यक्ति है – व्यक्ति जो मात्र कब्जा होने का दावा करता है – हितबद्ध पक्षकार होना नहीं माना जा सकता – ऐसे व्यक्ति को सीमांकन कार्यवाहितयों में आपत्ति करने का अधिकार नहीं।

3. सीमांकन के समय स्थल पंचनामा पर सरहदी कास्तकारों एवं गवाहों के स्पष्ट हस्ताक्षर नाम सहित,

4. रूढिवादी सीमांकन पद्धति (जरीब द्वारा) के अतिरिक्त सेटेलाईट

से उपलब्धता के आधार पर विधिवत सीमांकित भूमि की माप कर सीमांए समझाना,

5. सीमांकन पश्चात फील्डबुक तैयार करना,

6. सीमांकन के समय यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो उसका मौके पर निराकरण करना,

7. सीमांकन में यदि कोई आपत्ति प्राप्त न हुई हो तो विधिवत सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना,

8. सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त सीमांकन प्रतिवेदन पर तहसीलदार द्वारा एक अवसर सहमति/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक रूप से हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान करते हुये उसका विश्लेषण कर, विधिवत सीमांकन का अंतिम आदेश पारित करना।

2014 आर एन 69 बद्री प्रसाद विरूद्ध रामप्रसाद जाटव में राजस्व मण्डल द्वारा यही अभिमत व्यक्ति किया है कि सटे हुए कृषकों को सूचना के साथ–साथ सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

4–उपरोक्त विवेचना के आधार तहसीलदार तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 18/अ–17/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 05.01.18 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्षों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये तथा म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के प्रावधानों के नियमों का पालन करते हुये आदेश पारित करें।

सदस्य